



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267388
CG-DL-E-04112025-267388

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 729]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 729]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 815(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, में समूह 'क' (वैज्ञानिक और तकनीकी) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, (वैज्ञानिक और तकनीकी) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "नियंत्रण प्राधिकारी" से महानिदेशक, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ख) पुनरीक्षित लचीली पूरक स्कीम के अधीन प्रगति के प्रयोजन हेतु "क्षेत्रीय अनुभव" का अर्थ निम्नलिखित वैज्ञानिक क्रियाकलापों या सेवाओं को सम्मिलित करेगा -

(i) मौलिक या मूलभूत अनुसंधान जिसका अर्थ नई वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल अन्वेषण कार्य करना है, जो किसी विनिर्दिष्ट व्यावहारिक उद्देश्य या अनुप्रयोग, या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं या संस्थानों में कार्य करने की दिशा में आवश्यक रूप से निदेशित नहीं होता है;

(ii) अनुप्रयुक्त अनुसंधान - जिसका अर्थ किसी विनिर्दिष्ट व्यावहारिक उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई वैज्ञानिक या तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु मूल अन्वेषण कार्य करना है, या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं या संस्थानों में कार्य करने की दिशा में निदेशित होता है;

(iii) प्रायोगिक विकास जिसका अर्थ वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग नए या पर्याप्त रूप से उन्नत सामग्रियों, युक्तियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों या सेवाओं का उत्पादन करना है, या परीक्षण, अंशांकन, लेखा-परीक्षण, प्रमाणन स्कीम, मानक और मार्ग दर्शक **सिद्धांत** के विकास के माध्यम से क्षेत्रीय अनुभव प्राप्त करता है।

(iv) वैज्ञानिक और तकनीकी क्रियाकलाप, जो वैज्ञानिक क्रियाकलापों और सेवाओं को बढ़ावा देने के निबंधन में अनुसंधान और विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, जैसे अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में काम करना, मिशन मोड में संचालित वैज्ञानिक परियोजनाएँ, या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर काम करना है।

(v) वैज्ञानिक या तकनीकी या प्रौद्योगिकीय ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा वाली स्कीमों या परियोजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन, उनके प्रदर्शन की मॉनिटरी तथा उद्योग को सेवाओं की आपूर्ति करना।

(vi) वैज्ञानिक क्रियाकलाप, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परीक्षण, अंशांकन, लेखा-परीक्षण, मूल्यांकन एवं पुनर्विलोकन, प्रमाणन स्कीम, मानक और मार्गदर्शक **सिद्धांतों** का विकास तथा इन सेवाओं की सरकारी सेक्टर और उद्योग को आपूर्ति करना है।

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियाँ अभिप्रेत हैं;

(घ) "स्कीम" से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तारीख 13 मार्च, 2024 को कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/41/2013-पीपी(आरआर) अधिसूचित पुनरीक्षित लचीली पूरक स्कीम अभिप्रेत है।

(ङ) "वैज्ञानिक पद" से, पुनरीक्षित लचीली पूरक स्कीम के पैरा iii के उप- पैरा (क) में यथा परिभाषित वैज्ञानिक पद अभिप्रेत हैं।

3. **पद का नाम, पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** — (1) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में पद का नाम, पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे, अर्थात्

सारणी

क्र.सं.	पद का नाम.	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वैज्ञानिक 'बी'	120* (2025)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपये)।
2.	वैज्ञानिक 'सी'	31* (2025)	(अननुसचिवीय वैज्ञानिक और तकनीकी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 रुपये)।
3.	वैज्ञानिक 'डी'	6* (2025)		वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रुपये)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

टिप्पण 1. - प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों को पहले पोषक श्रेणी में वैज्ञानिकों से भरा जाएगा जिन्हें स्कीम के अधीन अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया है।

टिप्पण 2. - यदि स्कीम के अधीन अगली श्रेणी में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए अनुशंसित वैज्ञानिकों की संख्या प्रोन्नति श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो उस सीमा तक पदों की संख्या को शर्त के अधीन स्वतः प्रोन्नति श्रेणी में अपग्रेड कर दिया जाए परंतु सभी श्रेणियों की संयुक्त स्वीकृत संख्या समान रहेगी।

टिप्पण 3. - नौकरी छोड़कर जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियां सामान्यतः संबंधित वैज्ञानिक या तकनीकी प्रवर्ग के प्रवेश स्तर की श्रेणी पर ही रहेगी।

टिप्पण 4. - तथापि, कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, इनमें से कुछ रिक्तियों को समग्र स्वीकृत संख्या के भीतर व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की उच्च अर्हताओं और कौशल के साथ रिक्ति के स्तर और अनुरूप के आधार पर प्रवेश स्तर से ऊपर के पदों के लिए इन नियमों में विहित भर्ती पद्धति द्वारा भरा जा सकता है

4. **प्रारंभिक गठन.** - इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को, सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियमित आधार पर पूर्वोक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को इन नियमों के अधीन नियुक्त हुआ समझा जाएगा, तथा उक्त पदों पर इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उनकी परीक्षा अवधि, अगली उच्चतर श्रेणी के लिए प्रोन्नति की पात्रता आदि विनिश्चित करने के लिए गणना में लिया जाए।

5. **भर्ती की पद्धति और अर्हताएं** -

(1) वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'जी' के पद चयन पद होंगे।

- (2) भर्ती के प्रयोजन के लिए पदों को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त होगी।
- (3) वैज्ञानिक 'बी' के पदों की भर्ती के लिए भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी जैसा कि पहली अनुसूची के पैरा (क) और दूसरी अनुसूची के पैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अधीन यथा विनिर्दिष्ट है।
- (4) वैज्ञानिकों 'सी' और 'डी' के पदों की भर्ती के लिए भर्ती या तो स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ आमेलन, जैसा कि पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- (5) वैज्ञानिक 'ई', 'एफ' और 'जी' के पद की भर्ती स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के माध्यम से की जाएगी।
- (6) वैज्ञानिकों 'बी', 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ' और 'जी' की दशा में, नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी प्रभारी मंत्री होंगे। वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (144200-218200 रुपये) या उससे ऊपर के वेतन वाले पद पर नियुक्ति या प्रोन्नति की दशा में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन आज्ञापक है।
- (7) प्रत्येक पद के लिए या प्रत्येक दशा में आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव की विशिष्ट शाखा या क्षेत्र का विनिश्चय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की उपलब्धता तथा सीधी भर्ती में किसी विशिष्ट क्षेत्र में वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा और विशिष्ट शाखा का चयन इन नियमों की चौथी अनुसूची में उल्लिखित शाखाओं की सूची में से किया जाएगा, तथा विशिष्ट विषय का चयन उस विशिष्ट शाखा में पाँचवीं अनुसूची के अधीन उल्लिखित विषयों की सूची में से किया जाएगा।
- (8) भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पुनर्नियोजन के आधार पर की जा सकती है।

6. प्रोन्नति या उन्नयन. -

- (1) वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' श्रेणी तक में वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।
- (2) वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' तक की श्रेणी तक वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन नीचे सारणी में उपदर्शित न्यूनतम कार्य निष्पादन अवधि और स्कीम में विनिर्दिष्ट अन्य उपबंधों के अनुपालन के अनुसार होगा।

सारणी

क्र.सं.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदनाम	निष्पादन से संबंधित न्यूनतम कार्य निष्पादन अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (रु 56100-177500)	वैज्ञानिक 'बी'	शून्य
2.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (रु 67700-208700)	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'बी' के रूप में तीन वर्ष

3.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (रु 78800-209200)	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'सी' के रूप में चार वर्ष
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13 (रु. 123100-215900)	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'डी' के रूप में चार वर्ष
5.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13क (रु. 131100-216600)	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'ई' के रूप में पांच वर्ष
6.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -14 (रु. 144200-218200)	वैज्ञानिक 'जी'	वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में पांच वर्ष

(3) स्कीम के अधीन निर्धारण के दो स्तर होंगे, अर्थात् स्तर-1 छंटनी (आंतरिक छंटनी समिति) और स्तर-2 छंटनी (निर्धारण बोर्ड या विभागीय सहकर्मि पुनर्विलोकन समिति), जैसा कि तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

(4) निर्धारण एक वर्ष में दो बार किया जाएगा और उन वैज्ञानिकों की दशा में जिन्होंने यथास्थिति निर्धारण की कट-ऑफ तारीखों अर्थात् 1 जनवरी या 1 जुलाई के अनुसार न्यूनतम कार्य-निष्पादन अवधि पूरी कर ली है या पूरी कर लेंगे, और स्कीम निर्धारण की कट ऑफ तारीखों से पहले की अवधि के लिए न्यूनतम कार्य-निष्पादन अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर या उससे अधिक वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अर्जित की है या अर्जित करेंगे, पर स्कीम के अधीन निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।

(5) जो वैज्ञानिक स्तर-1 छंटनी या स्तर-2 छंटनी में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उनका पुनः निर्धारण केवल एक वर्ष के पश्चात् किया जाएगा जब उन्हें कम से कम एक और वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट तथा वार्षिक कार्य रिपोर्ट प्राप्त होगी और ऐसे पुनर्निर्धारण के लिए पुन स्तर-1 और स्तर-2 की जांच की जाएगी और यह उस चरण से शुरू नहीं होगी जहां वैज्ञानिक अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे।

(6) अगली श्रेणी में प्रोन्नति या उन्नयन के लिए स्कीम के अधीन निर्धारण प्रक्रिया केवल तीन बार आयोजित की जाएगी और तत्पश्चात् वैज्ञानिकों को यथा लागू उपान्तरित सुनिश्चित कैरियर प्रगति मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन शामिल किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और वैज्ञानिकों को लागू है उपांतरित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम द्वारा स्कीम में उपबंधित के अनुसार अगली श्रेणी के लिए विचार किया जा सकता है।

(7) प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा की अवधि को स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के लिए नहीं गिना जाएगा। विशेष रूप से प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों को स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें केवल उपांतरित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम के अधीन उन्नयन का लाभ दिया जाएगा।

(8) स्कीम के अधीन अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति या उन्नयन के लिए अनुशंसित वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन सक्षम प्राधिकारी या नियुक्तिकरण प्राधिकारी ने प्रोन्नति या उन्नयन को अनुमोदन दिया था। संगठन के बाहर छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को उनके मूल संवर्ग में पुन शामिल होने या लौटने की तारीख से ही प्रोन्नति या उन्नयन दिया जाएगा।

(9) कोई भूतलक्षी प्रोन्नति या उन्नयन नहीं होगा।

(10) अनुसंधान और विकास में फील्ड अनुभव या वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव, वैज्ञानिक 'एफ' के लिए प्रोन्नति या उन्नयन के लिए कम से कम दो वर्ष और वैज्ञानिक 'जी' के लिए प्रोन्नति या उन्नयन के लिए पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

(11) छुट्टी की अवधि, प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा आदि पर बिताए गए समय के न्यूनतम कार्य निष्पादन अवधि की गणना के लिए विवेचन स्कीम में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।

(12) इन नियमों में कोई चीज़ जो उल्लिखित नहीं हैं, स्कीम के उपबंधों द्वारा शासित होगी।

7. वार्षिक निष्पादन और मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक कार्य रिपोर्ट. - वैज्ञानिक वार्षिक कार्य रिपोर्ट और वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को वार्षिक आधार पर आज्ञापक रूप से स्कीम में उपबंधित रूपविधान में भरा जाएगा।

8. परिवीक्षा. - (1) सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक 'ख' और 'ग' श्रेणी में नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्ष और सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक 'डी', की श्रेणी में नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए एक वर्ष होगी:

परंतु कि नियंत्रक प्राधिकारी इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है:

परंतु यह कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई विनिश्चय पिछले परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर सामान्य रूप से लिया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों के साथ संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर, वैज्ञानिक को यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो उन्हें नियमित आधार पर उनकी की गई नियुक्ति में रखा जाएगा और इसकी उपलब्ध मूल रिक्तियों के विरुद्ध पुष्टि की जाएगी।

(3) यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, यदि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि कोई वैज्ञानिक स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार वैज्ञानिक को यथास्थिति सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर सेवोनमुक्त या प्रतिवर्तित कर सकती है।

(4) परिवीक्षा अवधि के दौरान, या उसके किसी विस्तार के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण और अनुदेशों के ऐसे पाठ्यक्रमों से गुजरना और परीक्षाओं और परीक्षणों (हिंदी में परीक्षा सहित) को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकती है, जैसा कि सरकार परिवीक्षा के संतोषजनक समापन की शर्त के रूप में उचित समझे।

(5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सेवा के सदस्यों को इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा शासित किया जाएगा।

9. पुष्टीकरण. --- वैज्ञानिक 'बी', 'सी' और 'डी' के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त वैज्ञानिक पदों की पुष्टि विभागीय पुष्टिकरण समिति की सिफारिशों पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी, अर्थात्:

(क) अध्यक्ष - एक वैज्ञानिक 'जी', मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय ;

(ख) सदस्य - मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से दो वैज्ञानिक 'एफ',
और
प्रमुख (कार्मिक प्रभाग), मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय।

10. **निर्हरता.** - वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

11. **भारत और भारत से बाहर सेवा करने के लिए अधिकारियों का दायित्व.** - (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी भारत में और भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होंगे।

(2) इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसे प्रशिक्षण से गुजरने के लिए दायी होंगे और भारत या विदेश में अनुदेशों के पाठ्यक्रमों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे जैसा कि सरकार समय-समय पर विनिश्चय कर सकती है और प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत जानकारी रखने वाले अधिकारी, जिसकी अवधि छह मास या उससे अधिक है या भारत के बाहर या भारत में निजी फर्मों या कारखानों के साथ प्रशिक्षण के लिए विस्तृत जानकारी रखने वाले अधिकारी, प्रशिक्षण की अवधि पर ध्यान दिए बिना, प्रशिक्षण की पूरी लागत के प्रतिदाय के लिए उत्तरदायी होगा, यदि, किसी भी कारण से, प्रशिक्षण के दौरान, या ऐसे प्रशिक्षण के पूरा होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर, वह अपनी सेवा को बंद करने का विकल्प चुनता है।

12. **प्रशिक्षण.** - सीधी भर्ती के आधार पर इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी को अनिवार्य रूप से मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा और किसी भी अधिकारी को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किए बिना उसकी परीक्षा अवधि के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी।

13. **शिथिल करने की शक्ति.** - जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना अपेक्षित या समीचीन है वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध में से किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. **व्यावृत्ति.** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पहली अनुसूची
[नियम 5(3) और नियम 5(4) देखिए]

अ. सीधी भर्ती -

(1) सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं -

(क) आवश्यक:

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक या संगणन एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पाँचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री (न्यूनतम चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)।

(ख) वांछनीय:

चौथी अनुसूची और पाँचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री; या

पाँचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री।

(2) अनुभव:

क्रम सं.	पदों का नाम.	भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुसंगत अनुभव
(1)	(2)	(3)
1.	वैज्ञानिक 'बी'	----
2.	वैज्ञानिक 'सी'	केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं या समान वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संगठनों या दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परीक्षण, अंशांकन, लेखा-परीक्षण एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य में चार वर्ष का अनुभव।
3.	वैज्ञानिक 'डी'	केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं या समान वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संगठनों या दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परीक्षण, अंशांकन, लेखा-परीक्षण एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य में आठ वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1- न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक अर्हता अभिप्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि को अनुभव में नहीं गिना जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री (आवश्यक अर्हता के क्षेत्र में) अभिप्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि, जैसा कि ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रमाणन द्वारा साक्ष्य हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी करने के अधीन रहते हुए और अधिकतम दो वर्ष की अवधि के अधीन, अनुभव में गिनी जाएगी।

टिप्पण 2- यदि डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि किसी भी प्रयोजन के लिए अनुभव में नहीं गिनी जाएगी। परन्तु कि, वही अवधि जो डॉक्टरेट डिग्री (डिग्री प्रदान) अभिप्राप्त करने के लिए लगी है, के दौरान दो वर्ष से अधिक पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) की दशा में अनुभव केवल रोजगार अवधि के लिए गिना जाएगा डॉक्टरेट की डिग्री के लिए नहीं।

(3) आयु सीमा. - प्रत्येक प्रवर्ग में के पद पर सीधी भर्ती के लिए उपरी आयु सीमा नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट होगी: -

सारणी

क्रम सं.	पद का नाम	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)
(i)	वैज्ञानिक 'बी'	30 वर्ष से अनधिक
(ii)	वैज्ञानिक 'सी'	35 वर्ष से अनधिक
(iii)	वैज्ञानिक 'डी'	40 वर्ष से अनधिक

परन्तु कि -

(i) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, में पहले से ही नियमित आधार पर कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए आयु में शिथिलीकरण केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार होगी।

(ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, अस्थि विकलांगों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में उपरी आयु-सीमा, इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी;

(iii) केन्द्रीय सरकार विशेषीकृत वैज्ञानिक क्षेत्रों में अत्यधिक अनुभवी अभ्यर्थियों की दशा में सभी प्रवर्गों के पदों के लिए उपरी आयु-सीमा शिथिल कर सकेगी;

(iv) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए विहित अंतिम तारीख)।

आ. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / आमेसन. - प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेसन के द्वारा भर्ती की दशा में, श्रेणियाँ जिन से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेसन किया जाना है, वे ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे, जिन्हें केंद्रीय एवं राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं या समान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों या दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परीक्षण, अंशांकन, लेखा-परीक्षण एवं मूल्यांकन का अनुभव हो -

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित रूप से समतुल्य पद धारण किया हुआ हो; या
(ii) जिनके पास नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट पद के सामने यथा विनिर्दिष्ट नियमित आधार पर पद पर अपेक्षित अनुभव हो: -

सारणी

क्रम सं.	पदों का नाम	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुसंगत अनुभव
(1)	(2)	(3)
1.	वैज्ञानिक 'सी'	वर्तमान काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में (56100-177500 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की गई सेवा।
2.	वैज्ञानिक 'डी'	वर्तमान काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर -11 (67700-208700 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् की गई चार वर्ष की सेवा।

(iii) इस अनुसूची के पैरा 'अ' में सीधी भर्ती के लिए यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता और अनुभव होना;

टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, इस स्कीम के अधीन प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

दूसरी अनुसूची
[नियम 5(3) और नियम 5(4) देखिए]

छंटनी और चयन प्रक्रिया (सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए)

अ. **छंटनी समिति.** - सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए छंटनी समिति जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जिन्हें मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय के महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, छंटनी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और केवल छंटनी में चयनित अभ्यर्थी ही अगले स्तर की भर्ती के लिए पात्र होंगे।

आ. **विभागीय चयन समिति** - वैज्ञानिक 'बी', वैज्ञानिक 'सी' और वैज्ञानिक 'डी' के पद पर सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए विभागीय चयन समिति और इसकी संरचना नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी:-

सारणी

क्रम सं.	अधिकारियों का स्तर	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	भर्ती एवं निर्धारण केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या वैज्ञानिक विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक- जी या समतुल्य	अध्यक्ष;
2.	उद्योग/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम से वैज्ञानिक 'जी' या समतुल्य ।	सदस्य;
3.	प्रतिनिधि शैक्षणिक संस्था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या वैज्ञानिक तकनीकी विश्वविद्यालय से वेतन मैट्रिक्स में स्तर -14 (रु144200-218200) से नीचे का न हो।	सदस्य;
4.	अन्य वैज्ञानिक सरकारी विभाग से वैज्ञानिक 'एफ' या समतुल्य स्तर का एक सदस्य।	सदस्य;
5.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से वैज्ञानिक 'एफ' या समतुल्य स्तर का एक सदस्य।	सदस्य।

टिप्पण: उपरोक्त अध्यक्ष और सदस्य मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय के महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

तीसरी अनुसूची
[नियम 5(3) देखिए]

स्कीम के अधीन निर्धारण प्रक्रिया:

1. स्तर-1 छंटनी समिति: -

(क) आंतरिक छंटनी समिति की संरचना (वैज्ञानिक 'सी', वैज्ञानिक 'डी' और वैज्ञानिक 'ई' के पदों पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु) नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी:-

सारणी

क्रम सं.	अधिकारियों का स्तर	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उसके संगठनों से एक ज्येष्ठ वैज्ञानिक जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (₹144200-218200) से नीचे का न हो।	अध्यक्ष;
2.	मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क (₹131000-216600) या उससे ऊपर का वैज्ञानिक।	सदस्य;
3.	परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क (₹131000-216600) से नीचे का वैज्ञानिक न हो।	सदस्य।

(ख) आंतरिक छंटनी समिति की संरचना (वैज्ञानिक 'एफ' के पदों पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु) नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी:-

सारणी

क्रम सं.	अधिकारियों का स्तर	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उसके संगठनों से एक वैज्ञानिक जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (रु144200-218200) से नीचे का न हो।	अध्यक्ष;
2.	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (रु144200-218200) या उससे ऊपर का वैज्ञानिक।	सदस्य;
3.	परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (रु144200-218200) से नीचे का वैज्ञानिक न हो।	सदस्य।

(ग) आंतरिक छंटनी समिति की संरचना (वैज्ञानिक 'जी' के पदों पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु) नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी:-

सारणी

क्रम सं.	अधिकारियों का स्तर	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उसके संगठनों से एक वैज्ञानिक जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (रु182200-224100) से नीचे का न हो।	अध्यक्ष;
2.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उसके संगठनों से एक वैज्ञानिक जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (रु182200-224100) से नीचे का न हो।	सदस्य;
3.	परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (रु182200-224100) से नीचे का वैज्ञानिक न हो।	सदस्य।

टिप्पण 1. - उपरोक्त शीर्षक क, ख और ग के अंतर्गत क्रम संख्या 1 और 2 पर अध्यक्ष और सदस्य को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पण 2: अध्यक्ष और सदस्य उस पद से एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर उन्नयन या प्रोन्नति की जानी है।

2. स्तर-2 छंटनी:

(क) निर्धारण बोर्ड की संरचना (अत्यंत उत्कृष्ट प्रवर्ग के अधीन से अन्यथा, वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'ई' तक प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु) नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी: -

सारणी

क्रम सं.	अधिकारियों का स्तर	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	भर्ती एवं निर्धारण केंद्र, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या वैज्ञानिक विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक जी या समतुल्य।	अध्यक्ष;
2.	उद्योग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम से वैज्ञानिक 'जी' या समतुल्य।	सदस्य;
3.	प्रतिनिधि शैक्षणिक संस्था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या वैज्ञानिक तकनीकी विश्वविद्यालय से वेतन मैट्रिक्स में स्तर -14 (रु144200-218200) से नीचे का न हो।	सदस्य;
4.	अन्य वैज्ञानिक सरकारी विभाग से वैज्ञानिक 'एफ' या समतुल्य स्तर का एक सदस्य।	सदस्य;
5.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से वैज्ञानिक 'एफ' या समतुल्य स्तर का एक सदस्य।	सदस्य।

टिप्पण 1.- उपरोक्त वर्णित सदस्य उस पद से एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर प्रोन्नति या उन्नयन किया जाना है।

टिप्पण 2.- निर्धारण बोर्ड की कार्यवाही से किसी सदस्य की अनुपस्थिति, उक्त बोर्ड की सिफारिशों को अविधिमान्य नहीं करेगी।

टिप्पण 3.- निर्धारण बोर्ड की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित तीन व्यक्तियों की होगी।

(ख) स्कीम के अधीन वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु विभागीय सहकर्मी पुनर्विलोकन समिति की संरचना नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी: -

सारणी

क्रम सं.	अधिकारियों का स्तर	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उसके संगठनों से एक अधिकारी, जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (₹182200-224100) से नीचे का न हो।	अध्यक्ष;
2.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बाहर के वैज्ञानिक मंत्रालयों से दो अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (₹144200-218200) से नीचे का न हो।	सदस्य;
3.	दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (₹144200-218200) से नीचे के न हो या वैज्ञानिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो।	सदस्य;
4.	संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग।	सदस्य।

टिप्पण - उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर अध्यक्ष को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) स्कीम के अधीन वैज्ञानिक 'जी' के पद पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु विभागीय सहकर्मी पुनर्विलोकन समिति की संरचना नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी: -

सारणी

क्रम सं.	अधिकारियों का स्तर	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	अध्यक्ष;
2.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से बाहर के वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों से दो सचिव या उनके प्रतिनिधि जो वेतन	सदस्य;

	मैट्रिक्स में स्तर 15 (रु182200-224100) से नीचे के न हो	
3.	दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (रु182200-224100) से नीचे के न हो या वैज्ञानिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो ।	सदस्य;
4.	अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	सदस्य।

टिप्पण - सदस्य उस पद से एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर प्रोन्नति या उन्नयन किया जाना है।

चौथी अनुसूची
[नियम 5(7) देखिए]

विज्ञान शाखा

आवश्यक अर्हता: भौतिक और कम्प्यूटेशनल एवं सूचना विज्ञान की शाखा और उनके अधीन विषय:

क्रम सं.	शाखा	विषय
1.	भौतिक विज्ञान	भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार, रेडियो भौतिकी, रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी, इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिकी और इंस्ट्रुमेंटेशन, बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण डिजाइन, सेमीकंडक्टर, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और प्रौद्योगिकी।
2.	कम्प्यूटेशनल और सूचना विज्ञान	कंप्यूटर विज्ञान, संचार, कंप्यूटर और नेटवर्किंग सुरक्षा, कंप्यूटर एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रणाली, सूचना सुरक्षा, कंप्यूटर प्रबंधन, साइबर विधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, साइबर विधि और सूचना सुरक्षा, बीज लेखन।

पांचवीं अनुसूची
[नियम 5(7) देखिए]

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी शाखाएँ

आवश्यक अर्हता: इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी विषय और उसके अंतर्गत विषय:

क्रम सं.	शाखा	विषय
1.	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी (इंजीनियरी स्नातक, तकनीकी स्नातक, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सहयोगी सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम्युनिकेशन इंजीनियर्स के सहयोगी सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम्युनिकेशन इंजीनियर्स का संस्थान)	इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रिकल, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिकी और इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिकी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण डिजाइन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, सेमीकंडक्टर, सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो सामग्री और डेटा विज्ञान,

[फा. सं 2(11)/2025-पीए(टीए)]

एम. वेल्लैपांडी, महानिदेशक

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Standardisation Testing and Quality Certification Directorate)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2025

G.S.R. 815(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group ‘A’ (Scientific and Technical) posts in the Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Group ‘A’ (Scientific and Technical) Posts Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) “**Controlling Authority**” means the Director General, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India;

(b) “field experience” for the purpose of promotions under the Revised Flexible Complementing Scheme shall include the following Scientific activities or services, namely: -

(i) fundamental or basic research, which means original investigation to gain new scientific knowledge, not necessarily directed towards any specific practical aim or application or working in scientific laboratories or institute;

(ii) applied research, which means original investigation to gain new scientific or technical knowledge directed towards a specific practical aim or objective or working in scientific laboratories or institutes;

(iii) experimental development, which means application of scientific knowledge directed towards producing new or substantially improved materials, devices, products, processes, systems or services or field experience through testing, calibration, audit, certification schemes, Standards and guidelines development.

(iv) scientific and technical activities which are directly linked to research and development in terms of promoting the scientific activities and services, such as working in research and development laboratories and institutions, scientific projects being operated in mission mode, working on international collaboration research and development projects;

(v) formulating schemes or projects and implementation requiring application of scientific or technical or technological knowledge, monitoring of their performance; and delivery of services to the industry.

(vi) scientific activities which involves testing, calibration, audit, evaluation and review, Certification Scheme, Standard and Guidelines Development in field of Electronics and Information Technology and delivery of these services to the Government sector and industry.

(c) “**Schedule**” means Schedules appended to these rules;

(d) Scheme means Revised Flexible Complementing Scheme as notified by the Department of Personnel and Training vide OM No. AB-14017/41/2013-PP(RR) dated the 13th March, 2024; and

(e) “Scientific post” means a Scientific post as defined in sub-paragraph (a) of paragraph iii of Revised Flexible Complementing Scheme.

3. Name of post, number of post, classification and level in pay matrix. - (1) The name of post, number of post in Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the following Table, namely

TABLE

Sl. No.	Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Scientist 'B'	120* (2025)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial, Scientific and Technical)	Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.
2.	Scientist 'C'	31* (2025)		Level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.
3.	Scientist 'D'	6* (2025)		Level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix.

* Subject to variation dependent on workload

Note 1. - The vacancies in each grade shall be first filled from the Scientists in the feeder grade who are recommended for promotion to the next higher grade under the Scheme.

Note 2. - If the number of Scientists recommended for consideration of promotion to the next grade under the Scheme are more than the number of vacancies available in the promotion grade, then to that extent the number of posts be automatically upgraded to the promotion grade subject to the condition that the combined sanctioned strength of all the grades shall remain the same.

Note 3. - Vacancies arising due to attrition shall normally revert to the entry level grade of the respective Scientific or Technical category.

Note 4. - However, based on functional needs and with the approval of competent authority, some of these vacancies may be filled by the method of recruitment prescribed in these rules, for the posts above entry level, based on the level of the vacancy and commensurate with the higher qualifications and skills of individual candidates within the overall sanctioned strength.

4. Initial Constitution. – The persons holding the aforesaid posts through direct recruitment or promotion or deputation on a regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by them in the said posts on regular basis before the commencement of the said rules shall be taken into account for deciding their period of probation, eligibility for promotion to the next higher grade, etc.

5. Method of recruitment and qualifications. –

(1) The posts of Scientist 'B' to Scientist 'G' shall be selection posts.

(2) The posts shall be exempted from the purview of the Union Public Service Commission for the purpose of recruitment.

(3) Recruitment to the posts of Scientist 'B' shall be made by direct recruitment as specified under paragraph A of the First Schedule and as per the procedure laid down at paragraph B of Second Schedule.

(4) Recruitment to the posts of Scientists 'C', and 'D' shall be made either by promotion or upgradation under the Scheme or direct recruitment or deputation (including short term contract)/absorption as specified in the First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule.

(5) Recruitment to the post of Scientist 'E', 'F' and 'G' shall be made through promotion/upgradation under the Scheme.

(6) In the case of Scientists 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' and 'G', the appointing and disciplinary authority will be Minister-in-Charge. The approval of Appointment Committee of Cabinet is mandatory in case of appointment or promotion to the post carrying pay in level 14 in the pay matrix (Rs 144200-218200) or above.

(7). Particular discipline or field of essential educational qualifications and experience for each post or in each case shall be decided by the Central Government, keeping in view the availability of Scientists in different fields and further requirement of Scientists in a particular field in direct recruitment and the particular discipline shall be chosen from list of disciplines mentioned in the Fourth Schedule of these rules and particular subject shall be chosen from the list of subjects mentioned under that particular discipline in the Fifth Schedule.

(8) Ex-serviceman may be recruited on re-employment basis in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

6. **Promotion or upgradation.** - (1) Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist 'C' upto Scientist G' shall be as specified under the Scheme.

(2) Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist C upto Scientist G' shall be as per the minimum residency period indicated below in Table and compliance with other provisions specified in the Scheme.

TABLE

SI. No.	Level in pay matrix	Designation	Minimum Residency Period linked to Performance
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Level- 10 in the pay matrix (Rs 56100-177500)	Scientist B	Nil
2.	Level-11 in the pay matrix (Rs 67700-208700)	Scientist C	Three years as Scientist-B
3.	Level-12 in the pay matrix (Rs 78800-209200)	Scientist D	Four years as Scientist -C
4.	Level-13 in the pay matrix (Rs 123100-215900)	Scientist E	Four years as Scientist -D
5.	Level-13A in the pay matrix (Rs 131100-216600)	Scientist F	Five years as Scientist -E
6.	Level 14 in the pay matrix (Rs 144200-218200)	Scientist G	Five years as Scientist -F

(3) There shall be two level of assessment under the Scheme, namely, Level-I Screening (Internal Screening Committee) and Level-2 Screening (Assessment Board or Departmental Peer Review Committee), as specified in the Third Schedule.

(4) The assessment shall be done twice in a year and cases of those Scientists who have completed or will complete the minimum residency period as on the cut-off dates of assessment viz., 1st January or 1st July, as the case may be, and have earned or will earn number of Annual Performance Appraisal Reports equal to or more than the number of years of minimum residency period for the period preceding the cut off dates of assessment, shall be considered for assessment under the Scheme.

(5) Scientist who does not qualify either in Level-1 Screening or Level-2 Screening shall be re-assessed only after one year when they earn at least one more Annual Performance Appraisal Report and Annual Work Report and such re- assessment would again entail Level-1 and Level-2 Screening and not commence from the stage where the Scientist failed to qualify.

(6) The assessment process under the Scheme for promotion or upgradation to the next grade shall be conducted only thrice, and thereafter, the scientist shall be covered under Modified Assured Career Progress guidelines as applicable to the Central Government civilian employees and the scientist who has been granted any grade under Modified Assured Career Progression Scheme may be considered for next grade as provided for in the Scheme.

(7) The period of service of Scientists or Technical experts doing management or administrative work shall not be counted for promotion or upgradation under the Scheme and Scientists or Technical experts doing exclusively management or administrative work shall not be considered for promotion or upgradation under the Scheme and they shall only be given benefit of upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme.

(8) The date of promotion or upgradation of Scientists recommended for promotion or upgradation to the next higher grade under the Scheme shall be the date on which the competent authority or appointing authority approved the promotion or upgradation and officers on leave or deputation outside the organisation shall be given promotion or upgradation only with effect from the date they rejoin or return to the parent cadre.

(9) There shall be no retrospective promotion or upgradation.

(10) The field experience, in research and development or experience in implementation of scientific projects, of at least two years for promotion or upgradation to Scientist 'F' and five years for promotion or upgradation to Scientist 'G' shall be essential.

(11) Treatment of period of leave, period spent on deputation or foreign service etc., towards counting of minimum residency period shall be as specified in the Scheme.

(12) Anything not mentioned in these rules shall be governed by provisions of the Scheme.

7. Annual Performance and Appraisal Reports and Annual Work Reports. - The Scientists shall fill up the Annual Work Report and Annual Performance Appraisal Report, in the format provided in the Scheme, mandatorily on an annual basis.

8. Probation. - (1) The period of probation for Scientists appointed to the grade of Scientist 'B', and Scientist 'C' by direct recruitment shall be two years and one year for Scientists appointed to the grade of Scientist 'D' by direct recruitment:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, Scientists shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed against the available substantive vacancies.

(3) During the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that a Scientist is not fit for permanent appointment, the Central Government may discharge or revert the Scientist to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, Scientists may be required by Central Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the service shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

9. Confirmation. - Confirmation of scientific posts appointed through direct recruitment for Scientists 'B', 'C', and, 'D' shall be done by the Controlling Authority on the recommendations of Departmental Confirmation Committee, the composition of which shall be as follows, namely: -

- (a) Chairperson - One Scientist 'G', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate;
- (b) Members - Two Scientists 'F' from Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, and Head (Personnel Division), Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate.

10. Disqualification. - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

11. Liability of officers to serve in India and outside. - (1) Officers appointed under these rules shall be liable to serve anywhere in India and outside.

(2) Officers appointed under these rules shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Government may decide from time to time and an Officer detailed for training or course, the duration of which is six months or more or an officer detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the cost of training, if, for any reason, during the training, or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

12. Training. - An Officer appointed under these rules on direct recruitment basis shall compulsorily undergo training programme for a period specified by the Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology and no officer shall be cleared for his probation period without completing such training programme.

13. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 5(3) and 5(4)]

A. Direct recruitment -

(1) Educational and other qualifications required for direct recruits -

(3F) Essential:

Master's Degree in Physical and Computational and Information Sciences as specified in the Fourth Schedule from a recognised University or Institute;

or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology (minimum four-year degree course) as specified in the Fifth Schedule from a recognised University or Institute.

(b) Desirable:

Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in the Fourth Schedule and the Fifth Schedule;

or

Master's Degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in the Fifth Schedule.

(2) Experience:

Sl. No.	Name of posts.	Minimum relevant experience required for recruitment.
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'B'	----
2.	Scientist 'C'	Four years experience in field of Electronics and Information Technology in Testing, Calibration, Audit and Evaluation in Central and State Government Labs or Similar Science and Technology Organisations or in both.
3.	Scientist 'D'	Eight years experience in field of Electronics and Information Technology in Testing, Calibration, Audit and Evaluation in Central and State Government Labs or Similar Science and Technology Organisations or in both.

Note 1. - The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of Essential Qualification) from a recognised University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience.

Note 2. - The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded: Provided that, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(3) Age limit. - The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as specified in Table below: -

TABLE

Sl. No.	Name of the post.	Age limit.
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'B'	not exceeding 30 years
2.	Scientist 'C'	not exceeding 35 years
3.	Scientist 'D'	not exceeding 40 years

Provided that -

- (i) there shall be age relaxation in respect of the Scientists who are already working on regular basis in the Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate as per the instruction or orders issued by the Central Government;
- (ii) the upper age limit in respect of the Schedule Castes, the Schedule Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes, Orthopedically Handicapped and other special categories of persons shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard;
- (iii) the Central Government may relax the upper age limit for all categories of posts in case of highly experienced candidates in specialised scientific areas;
- (iv) the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in non-remote areas of India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, (Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

B. Deputation (including short-term contract) / absorption. - In case of recruitment by deputation (including short-term contract)/absorption, grades from which the deputation (including short-term contract)/absorption to be made, shall be the Scientists or Technologists having experience in field of Electronics and Information Technology in Testing, Calibration, Audit and Evaluation in the Central and the State Government Labs or Similar Science and Technology Organisations or in both. -

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) having the experience required in the post on regular basis as specified in Table below against the specific post:-

TABLE

Sl. No.	Name of posts.	Minimum relevant experience required for recruitment by deputation.
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'C'	Three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the present cadre or department.
2.	Scientist 'D'	Four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the present cadre or department.

(iii) possessing the educational qualifications and experience as specified for direct Recruits in paragraph A of this Schedule;

Note 1. – The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.

Note 2. – The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation under the scheme. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3. – The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

THE SECOND SCHEDULE

[See rule 5(3) and 5(4)]

Screening and Selection Process (For direct recruits and deputation (including short-term contract)/absorption)

- A. **Screening Committee-** The Screening Committee for direct recruitment or deputation or absorption (including short-term contract) shall consist of a Chairperson and two Members who shall be nominated by the Director General, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate and the authority to accept the recommendations of the Screening Committee shall be the Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology and only the screened-in candidates shall be eligible for the next level of recruitment.
- B. **Departmental Selection Committee.** - The Departmental Selection Committee for direct recruitment or deputation or absorption (including short-term contract) to the post of Scientist 'B', Scientist 'C' and Scientist 'D' and its composition shall be as per Table below: -

TABLE

Sl. No.	Level of Officer	Designation
1	2	3
1.	Scientist —G or equivalent from Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organization or Council for Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or Scientific University	Chairperson
2.	Scientist 'G' or equivalent from Industry or Public Sector Undertaking	Member
3.	Representative from Academic Institution Indian Institute of Technology or Indira Gandhi Open University or Scientific Technical University not below the level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200)	Member

4.	One Member of the level of Scientist 'F' or equivalent from other Scientific Government Department	Member
5.	One Member of the level of Scientist 'F' or equivalent from Ministry of Electronics and Information Technology or National Informatics Centre or Standardisation, Testing and Quality Certification, Directorate	Member

Note: Chairperson and Members above shall be nominated by Director General, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate.

THE THIRD SCHEDULE
[See rule 5(3)]

Assessment process under the scheme:

(1) Level-1 Screening Committee: -

A. Composition of Internal Screening Committee (for consideration of promotion or upgradation to the posts of Scientist 'C', Scientist 'D' and Scientist 'E') shall be as per Table below: -

TABLE

Sl. No.	Level of Officer	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	A Senior scientist not below the level 14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix from Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations.	Chairperson
2.	A scientist of level 13 A (Rs. 131100-216600) or above in the pay matrix from Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate	Member
3.	A Scientist not below the level 13 A (Rs. 131100-216600) in the pay matrix from Department of Atomic Energy, Department of Space or Defence Research Development Organisation, Department of Science and Technology, Council of Scientific and Industrial Research.	Member

B. Composition of Internal Screening Committee (for consideration of promotion or upgradation to the posts of Scientist 'F') shall be as per Table below: -

TABLE

Sl. No.	Level of Officer	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	An officer of level 14 (Rs. 144200-218200) or above in the pay matrix from Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations.	Chairperson
2.	An officer of level 14 (Rs. 144200-218200) or above in the pay matrix from Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate.	Member

3.	A Scientist of level 14 (Rs. 144200-218200) or above in the pay matrix from Department of Atomic Energy, Department of Space or Defence Research Development Organisation, Department of Science and Technology, Council of Scientific and Industrial Research.	Member
----	---	--------

C. Composition of Internal Screening Committee (for consideration of promotion or upgradation to the posts of Scientist 'G') shall be as per Table below: -

TABLE

Sl. No.	Level of Officer	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	An officer of level 15 (Rs 182200-224100) or above in pay matrix from Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations.	Chairperson
2.	An officer of level 15 (Rs 182200-224100) or above in the pay matrix from Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations.	Member
3.	A Scientist of level 15 (Rs 182200-224100) or above in the pay matrix from Department of Atomic Energy, Department of Space or Defence Research Development Organisation, Department of Science and Technology, Council of Scientific and Industrial Research.	Member

Note 1: Chairperson and Member at Serial numbers 1-2 at A, B and C above shall be nominated by the Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology.

Note 2: The Chairperson and Members shall be one level above the post to which the upgradation or promotion is to be done.

(2) Level-2 Screening:

A. Composition of Assessment Board (for consideration of promotion or upgradation to the post of Scientist 'C' upto Scientist 'E' otherwise than under Exceptionally Meritorious Category) shall be as per Table below: -

TABLE

Sl. No.	Level of Officer	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist —G or equivalent from Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organization or Council for Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or Scientific University	Chairperson
2.	Scientist 'G' or equivalent from Industry or Public Sector Undertaking	Member
3.	Representative from Academic Institution Indian Institute of Technology or Indira Gandhi Open University or Scientific Technical University not below the Level-14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix	Member
4.	One Member of the level of Scientist 'F' or equivalent from other Scientific Government Department	Member

5.	One Member of the level of Scientist 'F' or equivalent from Ministry of Electronics and Information Technology or National Informatics Centre or Standardisation, Testing and Quality Certification, Directorate	Member
----	--	--------

Note 1: The Members mentioned above would be at least one level above the post to which promotion or upgradation is to be done.

Note 2: Absence of any member from the proceedings of the Assessment Board shall not invalidate the recommendations of the said Board.

Note 3: The quorum for any meeting of the Assessment Board shall be three including the Chairperson.

B. Composition for Departmental Peer Review Committee (for considering the promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'F' shall be as per Table below: -

TABLE

Sl. No.	Level of Officer	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	An officer not below the level 15 (Rs 182200-224100) in pay matrix from Ministry of Electronics and Information Technology and its organisations.	Chairperson
2.	Two officers not below the level 14 (Rs. 144200-218200) in pay matrix from Scientific Ministries outside Ministry of Electronics and Information Technology	Members
3.	Two eminent Scientists not below the level 14 in pay matrix, specialising in the field of scientific activities	Members
4.	Joint Secretary, Department of Personnel and Training	Member

Note: The Chairperson at Serial number 1 above shall be nominated by the Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology.

C. Composition for Departmental Peer Review Committee (for considering the promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'G' shall be as per Table below: -

TABLE

Sl. No.	Level of Officer	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology	Chairperson
2.	Two Secretaries of Scientific Ministries/ Departments outside Ministry of Electronics and Information Technology or their representatives not below the level 15 (Rs 182200-224100) in pay matrix	Members
3.	Two eminent Scientists, specialising in the field of scientific activities not below the level 15 (Rs 182200-224100) in pay matrix	Members
4.	Additional Secretary, Department of Personnel and Training	Member

Note: The Members shall be at least one level above the post to which promotion or upgradation is to be done.

THE FOURTH SCHEDULE
[see rule 5(7)]
Science disciplines

Essential Qualification: Physical and Computational and Information Science disciplines and subjects there under

Sl. No.	Discipline	Subjects
(1)	(2)	(3)
1.	Physical Sciences:	Physics, Applied Physics, Electronics, Applied Electronics, Electronics Science, Electronics and Communication, Radio Physics, Radio Physics and Electronics, Instrumentation, Electronics and Instrumentation, Very Large-Scale Integration Design, Semiconductor, Microelectronics, Embedded System and Technology.
2.	Computational and Information Sciences	Computer Science, Communication, Computer and Networking Security, Computer Application, Software System, Software Engineering, Information Technology, Information System, Information Security, Computer Management, Cyber Law, Artificial Intelligence, Data Science, Cyber Security, Cyber Law and Information Security, Cryptography.

THE FIFTH SCHEDULE
[See rule 5(7)]
Engineering/ Technology disciplines

Essential Qualification: Engineering/ Technology disciplines with subjects there under

Sl. No.	Discipline	Subjects
(1)	(2)	(3)
1.	Engineering/ Technology (Bachelor of Engineering, Bachelor of Technology, Associate Members of the Institution of Engineers, Associate Members of Electronics and Telecommunication Engineers, Institution of Electronics and Telecommunication Engineers)	Electronics, Electronics Science, Computer Science, Computer Engineering, Software Systems, Information Technology, Software Technology, Electronics and Communication, Electronics & Telecommunication, Electrical and Electronics, Electrical, Telecommunication and Information technology, Instrumentation, Electronics and Instrumentation, Electronics and Computer Engineering, Very Large Scale Integration Design, Artificial Intelligence, Data Science, Semiconductor, Information Security, Cyber Security, Microelectronics, Nano Materials and Data Sciences.

[F. No. 2(11)/2025-PA(TA)]

M. VELLAIPANDI, Director General